राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

बईजलास :– अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्याः– (112/2005) दायर तारीख (23.06.2005)

133/2010 29.04.2010

अनवान

01. धनकंवर पुत्री हरिसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

02. कल्याण कंवर पुत्री हरिसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. दलपतसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
2. मीठू बाई पुत्री नारायणसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
3. भंवरीबाई विधवा नारायणसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
4. भामा कंवर विधवा कालूसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
5. मेजू कंवर विधवा शैतानसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
6. राधा बाई पुत्री शैतानसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
7. गिरजाबाई पुत्री शैतानसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
8. गोपालसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
9. शंकरसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
10. पप्पूसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
11. सरजू बाई पुत्री मदनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
12. जगदीश बाई पुत्री मदनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
13. शिवबाई पुत्री मदनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
14. गेन्दबाई पुत्री मदनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
15. मनोहरसिंह पुत्र नन्दकिशोर जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
16. बंशीलाल पुत्र नन्दकिशोर जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
17. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

18 साबू देवी पत्नी गोरूलाल जाति बंजारा उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
19 राधा देवी पत्नी रायसिंह जाति बंजारा उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – अधिवक्ता वादीगण
2. श्री दिनेश तम्बोली – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 8 /9 /2025

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी नं0 1 से 16 तक के संयुक्त खातेदारी की अविभाज्य कृषि भूमि तहसील बिजौलियां के विभिन्न मौजो में निम्न प्रकार वर्तमान जमाबन्दी में अभिलिखित हैं।

(अ) मौजा लक्ष्मीखेड़ा स्थित आ0नं0 536/173 रकबा 15 बिस्वां ख. नं. 537/174 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वां कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वां भूमि वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी में अभिलिखित हैं।

(ब) मौजा खैराड़िया स्थित आ0नं0 216 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वां, ख. नं. 215 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वां, ख. नं. 217 रकबा 07 बिस्वां, ख. नं. 218 रकबा 07 बिस्वां कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वां भूमि वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी में अभिलिखित हैं।

(स) मौजा खैराड़िया स्थित आ0नं0 78 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वां, ख. नं. 79 रकबा 9 बिस्वां कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वां भूमि वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 से 16 तक की संयुक्त खातेदारी में अभिलिखित हैं। प्रतिवादी नं0 1 से 7 को प्राप्त खातेदारी के अलावा अन्य को प्राप्त खातेदारी बाबत् कोई विवाद नही हैं।

इसके अतिरिक्त मौजा लक्ष्मीखेड़ा स्थित आ.ख.नं. 175 रकबा 12 बिस्वां, आ. चा. व मौजा खेराड़िया स्थित आ.ख.नं. 220 रकबा 9 बिस्वां गे.मू. चाह आ.ख. नं. 57 रकबा 16 बिस्वां गे.मू. चाह स्थित है। जिसमें पूर्व खातेदार एवं वादीगण के पिता स्व. हरीसिंह का वैध हिस्सा अन्य सह खातेदार के साथ संयुक्त रूप से निहित था जो स्व. हरिसिंह की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी नं. 1 से 7 की संयुक्त खातेदारी में वर्तमान जमाबन्दी में अभिलिखित किया गया। जबकि वादीगण स्व. हरीसिह जी की जायन्दा पुत्रीया होकर उक्त आहता चाह में प्रतिवादी नं0 1 से 5 के साथ खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं।

अन्त में वादीगण ने निम्न अनुतोष चाहा कि–

(अ) वादपत्र की चरण संख्या 1 के उपचरण 'अ' व 'ब' में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/5 हिस्से व उपचरण 'स' में वर्णित कृषि भूमि में स्व. हरिसिंह जी के 1/3 हिस्से मे से 1/5 हिस्से अर्थात कुलिया कृषि भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/15 वे हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावें।

(ब) मौजा लक्ष्मीखेड़ा स्थित आ.ख.नं. 175 रकबा 12 बिस्वां गे.मू. चाह व मौजा खेराड़िया स्थित आ.ख.नं. 220 रकबा 9 बिस्वां गे.मू. चाह व आ.ख. नं. 57 रकबा 16 बिस्वां गे.मू. चाह में स्व. हरीसिंह के हिस्से में वादीगण को उनके वैध हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावें।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

(ब) वादपत्र की चरण संख्या एक के उपचरण 'अ' 'ब' व 'स' में वर्णित कृषि भूमि को मीटस एवड बाउण्डस के आधार पर विभाजित किया जाकर वादीगण के हिस्से को राजस्व रेकॉर्ड में अलग से अभिलिखित किये जाने की डिक्री वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावें।

(स) प्रतिवादी नं0 1 से 7 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण को उनके वैध हिस्से पर फसल काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करें, वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित नही करे तथा प्रतिवादी नं0 17 वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकॉर्ड में परिवर्तन नही करें।

(द) अन्य अनुतोष उचित वादपत्र हो वादीगण को मुफीद कराया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण को तलवी जरिये सम्मन मय नकल भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण नम्बर 4, 5, 6, 7 की ओर से दिनांक 20.10.2005 को अधिवक्ता के.सी. तम्बोली द्वारा निम्न जवाब दावा पेश किया।

वादपत्र की कलम नम्बर 1 में वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाते में दर्ज होना स्वीकार हैं शेष इबारत गलत होकर अस्वीकार हैं।

वादपत्र की कलम नम्बर 2 गलत होकर अस्वीकार हैं वादीया धनकंवर व कल्याण कंवर विवाहीता होकर अपने अपने ससुराल में निवास करती हैं। स्व. हरीसिंह जी ने विवाह के समय अपनी जायदाद से हक हिस्सा दे दिया वादीगण को अपने हक हिस्से की चल/अचल जायदाद दे दी गई हैं। वादीगण का अब किसी प्रकार का हक अधिकार नही है।

वादपत्र की कलम नम्बर 3 से 13 तक गलत होकर अस्वीकार हैं।

प्रतिवादीगण श्यामाकंवर मन्जूकंवर राधाबाई गिराज बाई चारों ने ग्राम खेराड़िया में भूमि आराजी नम्बर 78–79 व चाह नम्बर 57 सामलाती खाते की को दिनांक 6.6.2005 को मनोहर बंशीलाल पिता नन्दकिशोर दरोगा निवासी खेराड़िया को निजी घरेलु रकब की जरूरत होने से विक्रय कर दिया व विक्रयपत्र दिनांक 6.6.2005 को निष्पादित कर दिया हैं।

वादीगण विवाहित हैं हरिसिंह ने अपने जीवनकाल में ही वादीगण को चल/अचल जायदाद में अपना अपना हिस्सां दे दिया वादीगण अपना अपना ससुराल में निवास कर रही हैं।

वादीगण को वादपत्र पेश करने की लोकस स्टेन्डाई नही हैं।

वादीगण का हरीसिंह की जायदाद में किसी प्रकार का हक व अधिकार नही हैं।

प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के तहत उक्त प्रकरण में साबूदेवी पत्नि गोरूलाल जाति बंजारा निवासी भोपतपुरा एवं राधा देवी पत्नि रायसिंह बंजारा निवासी भोपतपुरा की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त प्रकरण में वादग्रस्त आराजी नम्बर 220 रकबा 9 बिस्वां एवं आ0नं0 216, 215, 217, 218 का 2/3 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वां भूमि प्रतिवादीगण खातेदार श्यामकंवर बेवा कालूसिंह, मन्जुकंवर बेवा शैतानसिंह, राधाबाई गिरजा बाई पुत्री श्री शैतानसिंह जाति राजपूत निवासीगण खेराडिया ने अपने हक हिस्से की भूमि दिनांक 16.05.2007 को प्रार्थीयागण साबूदेवी राधा देवी को विक्रय की एवं दिनांक 17.05.2007 को प्रार्थीगण के पक्ष में विक्रयपत्र का पंजीयान करवाया गया।

प्रतिवादी संख्या 18, 19 की ओर से निम्न जवाबदावा पेश किया कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाते में दर्ज होना स्वीकार हैं। शेष इबारत गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी श्यामकंवर मन्जु कंवर निवासी खेराडिया ने आराजी नम्बर 216, 215, 217, 218 कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वां में 2/3 हिस्सा प्रतिवादी नं. 18 व 19 साबूदेवी राधा देवी बंजारा निवासी भोपतपुरा को बिकाव राशि के 50000 रूपये नकद प्राप्त कर उक्त भूमि को पंजीयन प्रतिवादी संख्या 18 व 19 के पक्ष में करा दिया व प्रतिवादी संख्या 18 व 19 भूमि सदभावी क्रेता हैं। तथा आ.न. 220 रकबा 9 बिस्वां में 2/9 हिस्सां साबूदेवी व राधा देवी ने क्रय किया हैं।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 04 पर

वाद पत्र व प्रतिवाद पत्र के तथ्यो के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई ।

तनकी नं0 1 – आया वादग्रस्त जायदाद स्थित मौजा लक्ष्मीखेड़ा एवं खैराड़िया का विवरण वादपत्र की कलम नम्बर एक के (अ) व (ब) भाग में दिया गया वह वादीयान के पिता स्वं हरीसिंह पुत्र तख्तसिंह राजपूत की खातेदारी में दर्ज हुयी पुश्तैनी जायदाद थी जो उनके पूर्वजों से उनके नाम पर आयी।

.........जिम्मे वादिगण

तनकी नं0 2 – आया वादग्रस्त जायदाद पुश्तैनी होने से हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के परिपेक्ष में प्रत्येक1/5 वे हिस्से की खातेदार है और इसी अंश की खातेदारी पाने की अधिकारी हो अपने अंशो तक भूमि का बंटवाड़ा कराने की अधिकारी हैं।

...........जिम्मेवादीगण

तनकी नं0 3 – आया वादीगण हक हिस्से की भूमि पर काश्त करने की अधिकारीणी होने से उनके अंश की सीमा तक काश्त में उत्पन्न की जाने वाली बाधा के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी हैं।

...........जिम्मेवादीगण

तनकी नं0 4 – आया प्रतिवादी श्यामाकंवर मन्जूकंवर व राधाबाई द्वारा दिनांक 6.6.2005 को मनोहर व बंशीलाल को किया गया विक्रय वैध हैं।

...........जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 5 – आया दिनांक 17.05.2007 को किये गये विक्रय बहक साबूदेवी व राधा देवी के पक्ष के विक्रय का क्रेताओं के पक्ष में वैध हो खातेदार हैं।

.........जिम्मे प्रतिवादीयानत

तनकी नं0 6 – अनुतोष क्या होगा।

वकील वादी ने शहादत वादी मे **PW-1** धनकंवर पिता हरिसिंह , **PW-2** कल्याणकंवर पिता हरिसिंह, **PW-3** शंकरलाल पिता काना दरोगा, **PW-4** मदनलाल पिता काना दरोगा के बयान कराये गये। शामिल पत्रावली किया गया।

वादी ने वादपत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये – जमाबन्दी ग्राम लक्ष्मीखेड़ा 2028– 2031 पेश की जो **EX-1** हैं।, जमाबन्दी ग्राम खैराडिया 2028 – 2031 पेश की जो **EX-2** हैं।, जमाबन्दी ग्राम खेराड़िया 2028 – 2031 पेश की जो **EX-3** हैं।जमाबन्दी ग्राम लक्ष्मीखेड़ा 2028 – 2031 पेश की जो **EX-4** है। जमाबन्दी ग्राम खैराड़िया 2059 – 2062 पेश की जो **EX-5** है। जमाबन्दी ग्राम किशन लक्ष्मीखेड़ा 2058 – 2061 पेश की जो **EX-6** है।

PW-1 धनकंवर पिता हरिसिंह ने अपने बयान में लिखाया कि मेरे पिता का नाम हरिसिंह हैं। मेरे परिवार की पुश्तैनी जायदाद हैं जो तख्तसिंह जी के बाद हरिसिंह जी के नाम हैं, 311 बीघा लक्ष्मीखेड़ा, जिसकी खातेदारी की नकल पेश की जो प्रदर्श–1 हैं। तथा खैराडिया से एक खाते में 6 बीघा 2 बिस्वां दूसरे खाते में 5 बीघा जो नकल पेश की है, जो प्रदर्श– 2 हैं। खैराड़िया में एक खाता हैं जो प्रदर्श– 3 हैं व एक खाते की जमीन प्रदर्श – 4 मेरे पिताजी के पांच सन्तान थी जिसमें तीन लडके व दो लड़किया थी, नारायणसिह, कालूसिंह, शैतानसिंह तथा लड़किया धनकंवर, कल्याणकंवर हैं हमारे तीनों भाई नारायणसिंह, कालूसिंह, शैतानसिंह की मृत्यु हो चुकी हैं। नारायणसिंह के पुत्र दलपतसिंह पत्नि भंवरकंवर पुत्री मिठूकंवर हं। कालू सिंह के पत्नी जिसका नाम चान्दकंवर हैं शैतानसिंह के पुत्रिया गिरीराज कंवर, राधा व पत्नी मंजू कंवर हैं। मेरी बहन कल्याण कंवर जीवित हैं तथा मेरे पिता का शान्त हुये 20–25 साल हो गये। मेरे पिता की मृत्यु के बाद हमारे नाम जमीन नही आई मैंने दावा पेश किया जिसमें नकल जमाबन्दी पेश की जो प्रदर्श– 5, प्रदर्श –6 हैं हमारे पिता की मृत्यु के पश्चात खाता फिटा उसका कोई नोटिस हमारे पास नही आया हमने किसी को लिखकर नही दिया की हमारे को जमीन नही चाहिये। हमारे पिता शान्त हुये तब हमारे भाई जिन्दा नही थें। खाता बदला जिसकी जानकारी नहीं हुई मंजू कंवर व श्याम कंवर ने पुश्तैनी जमीन को साबुडी गोरू को बेच दी, बेचा तो हमारे को नही पूछा इसके अलावा भी मनोहर बंशी को श्यामकंवर, मन्जूकंवर ने जमीन बेच

लगातार पेज संख्या 05 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

के लिये भी हमे नही पूछा हरिसिंह जी की जायदाद में हम कुल 5 पातीदार हैं जिनमें 3 भाई व 2 बहने हैं। हम हमारे पिताजी की सम्पति में से हिस्सा चाहते हैं। किन्तु खातेदार हमे हमारा हिस्सा नही देना चाहते हैं।

प्रतिवादी – जिरह :– मेरे पिता जी को मरे 25 साल हो गये। मेरी शादी ग्राम रासेड तह. कोटडी जिला भीलवाड़ा में नन्दसिंह के साथ हुई मेरे ननद गेदा कंवर हैं जिनका विवाह मुंशी तह. बनेड़ा में हुआ है हम ननद को अच्छी रखती हैं। अतः वो हक नही लेना चाहती हैं। प्रतिवादी गिरजा की शादी इस साल हो गई। मेरे भाई शैतानसिंह, मेरे पिताजी हरिसिंह की मृत्यु के पूर्व ही शान्त हो गये। यह कहना गलत है कि मेरे पिताजी मरे तब विरासत के नामान्तरकरण के तहत हक त्याग करने की सहमति दे दी हो गलत हैं। मेरे पिता के खाते 6 बीघा 2 बिस्वां जमीन एकथी तथा अलग से 5 बीघा भूमि थी। जिसमें मेरे काका हिस्सा था तथा मेरे पिताजी का तिसरा हिस्सा आता हैं। यह सही हैं कि बंशी, मनोहर दरोगा को जमीन बेचे 9 साल हो गये। मंजूकंवर ने अपना हक हिस्से की जमीन बेच दी तथा अब कोई शेष नही बची हैं यह सही है मंजू कंवर ने जमीन बेची, जिस पर बंजारा हारा हैं। खेती काश्त की जा रही तथा मै महिने–20 दिने में आती जाती रहती हूं। मेरे एक भाई के लड़के मुझे उणक बकते हैं मेरे हिस्सा की जमीन लेना चाहतर हैं। मेरे बहन कल्याण कंवर की शादी मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद विवाह किया। इनका विवाह 27–28 साल पहले जोगणिया माता भवानीसिंह जी के साथ हुई।

PW-2 कल्याणकंवर पिता हरिसिंह ने भी अपने बयान में धनकंवर पिता हरिसिंह के कथनों को ही दौराया हैं।

प्रतिवादी जिरह :– में मेरे पिता जी को मरे 25 साल हो गये। मेरे पिता की मृत्यु से पहले तीनों भाई शान्त हो गये। मरे भाई शैतानसिंह के दो लड़किय जो राधा, गिरजा हैं। तथा उनकी पत्नी मंजू कंवर हैं मेर शादी मेरे पिता के मरने के तीन साल बाद हुई। जमीन नही बेची उससे पहले मंजू कंवर – गिरजा कंवर राधा कंवर सिजारे पर खेती कराती थी हमने खेती मे पाती अर्थात हिस्सां नही दिया। इस कारण दावा किया।

PW-3 शंकरलाल पिता काना दरोगा निवासी खैराड़िया ने भी अपने बयान में धनकंवर पिता हरिसिंह के कथनों को ही दौराया हैं।

जिरह में लिखाया कि मैं हरिसिंह को देखा था मैं 25 साल का था। धनकंवर को रासेड़ परणा हैं इनके पति का नाम क्या हैं बता नही सकता धनकंवर के विवाह करे 30 साल हो गया। कल्याण कंवर को बडी बुवाई में विवाह 25 साल पहले करवाया था। धनकंवर को पिता हरिसिंह द्वारा शादी करवाई थी, कल्याण कंवर की उनकी भोजाई ने करवाया है। तारीख याद नही है, हरिसिंह धनकंवर की शादी के बाद मृत्यु हुई । हरिसिंह के एक लड़की भूरकंवर थी। जिसकी मृत्यु हो गई तथा एक लड़का था जिसकी भी मृत्यु हो गई हैं। धनकंवर, कल्याणकंवर अपने ससुराल में ही रहती हैं तथा भोजाई से मिलने आती जाती रहती हैं। यह सही हैं कि विवादीत जमीन का दावा नारायणसिंह ने करवाया फिर कहा की इन्होने ने ही करवाया। गवाह के लिये नारायणसिंह की पत्नी मुझे लेकर आई। यह सही हैं कि धनकंवर कल्याण कंवर अपने ससुराल मे ही रह रही हैं। वादीगण अपने ससुराल में ही खेतीबाडी करते हैं यह सही है कि जमीन पर वादीगण का कब्जा नही हैं। विवादित जमीन पर नारायणसिंह की पत्नी काश्त करती थी, यह सही है कि कालूसिंह की पत्नी श्यामकंवर व शैतानसिंह की पत्नी राजूकंवर व लड़की राधा, गिरजा कोटा रहती थी तथा रूपये की जरूरत होने से बंजारा को बेच दी। हरिसिंह की मृत्यु के पश्चात विरासत से नामान्तरण खोलने के लिए धनकंवर, कल्याणकंवर द्वारा हक त्याग हेतु कोई लिखा हो तो मुझे जानकारी नही यह सही हैं। उक्त जमीन को साबुदेवी बंजारा, राधा बंजारा काश्त कर रही है। यह कहना गलत है कि नारायणसिंह की पत्नी ने धनकंवर, कल्याणकंवर से दावा करवाया हैं तथा उन्होंने हिस्सा लेने के लिये दावा किया। यह कहना गलत है कि राजपूतो को जमीन का हिस्सा नही मिलता एक ही गांव में रहते है यह गलत हैं कि नारायणसिंह, कालूसिंह, शैतानसिंह उप खण्ड अधिकारी जमीन बनाई हैं।

लगातार पेज संख्या 06 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

PW-4 मदनलाल पिता काना दरोगा निवासी खैराड़िया ने भी अपने बयान में धनकंवर पिता हरिसिंह के कथनो को ही दौराया हैं।

जिरह में लिखाया कि यह सही हैं कि हरिसिंह के भूरकंवर व शैतानसिंह लड़का लडकी थें। भूर बाई की शादी कराते ही मृत्यु हो गई तथा उनके बच्चा बच्ची नही है। धनकंवर को रासेड नन्दसिंह के साथ 25 साल पहले शादी करवाई तथा कल्याणकंवर, धनकंवर की शादी के एक साल बाद शादी करवायी व दोनों अपने ससुराल में रहकर खेती कर रही है। देखभाल करते है तथा यहां भी खेती करती हैं जो उनकी भोजाई हैं काश्त करती वहा काश्त करती है। यह सही है कि वादी जमीन में 3 हिस्से ही है दो हिस्से विक्रय हो गये तथा एक हिस्सा नारायणसिह की पत्नी के हैं। वादी जमीन के दो हिस्से 4–5 साल हो गये है। तथा एक हिस्सा बंजारा व एक हिस्सा दरोगा के बेचा जो स्वयं काश्त कर रहे हैं। यह सही है कि विवादित जमीन पर हरिसिंह की तीनों लड़को का कब्जा था। यह सही है धनकंवर, कल्याणकंवर ने बयान के लिए नही बुलाई व नारायणसिंह की पत्नी बयान हेतु लेकर आई हैं। धनकंवर, कल्याणकंवर को एक महिने पहले मिला थी। हरिसिंह के लड़के लड़कियों की शादी हरिसिह ने करवाई थी यह सही है कि हरिसिह ने अपनी दोनों लड़कियों को अपने सामर्थ के सोना चांदी दिया व रोकड में से दिये हो तो मुझे पता नही हैं।

प्रतिवादीगण की और से शहादत प्रतिवादी मे DW-1 मंजू कंवर पत्नि शैतानसिंह राजपूत निवासी खैराड़िया , DW- रायसिंह पिता गोरू बंजारा निवासी भोपतपुरा, DW-2 राधा पत्नि रायासंह बंजारा निवासी भोपतपुरा, DW-3 ऊंकार पिता गोरू बंजारा निवासी भोपतपुरा व DW-4 शैतानसिंह पिता नारायणसिंह बंजारा निवासी भोपतपुरा के बयान कराये गये। शामिल पत्रावली किया गया।

DW-1 मंजू कंवर पत्नि शैतानसिंह राजपूत निवासी खैराड़िया ने अपने बयान में लिखाया कि वादग्रस्त जमीन ग्राम खेराड़िया में हैं। मेरे 2 बीघा जमीन पाती में आ रही है। लक्ष्मीखेड़ा में 3 बीघा जमीन हैं। उसमें मेरे 1 बीघा जमीन पाती में आ रही है। धनकंवर कल्याणकंवर शादी शुदा होकर 40 सालों से ससुराल में रह रही है। खैराड़िया व लक्ष्मीखेड़ा की जमीन पर वादीगण ने काश्त नही की। मैं काश्त कर रही हूं। मेने मेरे हक हिस्से की भूमि ग्राम खेराडिया में दरोगा को 10 बिस्वां जमीन बेची। बंजारा का नाम रायसिंह को जमीन 2 बीघा बेची। वादीगण का मायरा, मकूला मैने किया।

जिरह वकील वादी श्री गिरधीलाल आचार्य :– जिरह में लिखाया कि मेरे पति काक मरे हुए 20 वर्ष हो गये हैं मेरे ससुर का नाम हरिसिंह था। हरिसिंह के पिता का नाम तख्तसिंह था हरिसिह के लड़के नारायणसिंह कालूजी शैतानसिह एवं धनकंवर कल्याणकंवर लड़किया हुई। मेरी शादी हुए 40 वर्ष हो गये हैं। मेरी शादी के बाद धनकंवर व कल्याणकंवर की शादी नही हुई। मेरी शादी से पहल धनकंवर कल्याणकंवर की शादीया हो गई थी। यह सही हैं कि धनकंवर की उम्र 52 वर्ष व कल्याणकंवर की उम्र 48 वर्ष हैं। इनकी शादी इनके पिता हरिसिंह ने करवाई थी। हरिसिंह को मरे 38 वर्ष हो गये। सही हैं। हरिसिंह के मरने के बाद उनकी जमीन उनके बेटो के नाम पर हैं। धनकंवर कल्याणकंवर ने हमको लिखकर नही दिया कि उनको हिस्सा नही चाहिये। यह बात सही हैं कि हरिसिंह के मरने पर खाता फिटा तब वादीयान उनके ससुराल में थी। खाता फिटा तब वादीयान को हम लोग बुलाने नही गये। वादीयान का इस जायदाद में हिस्सा नही हैं। मैने मायरा मनकुला का हिसाब पेश नही किया। मैने मेरी लड़कियों की शादी करनी थी इसलिए वादीयान को नही पूछा। मेने मेरे हक हिस्से की जमीन बेच दी उनका वादीयान का हिस्सा नही बेचा। धनकंवर व कल्याणकंवर का 1/5 हिस्सा नही हैं। हम तीन लड़किया हैं। तीसरा हिस्सा हैं।

DW-2 रायसिंह पिता गोरू बंजारा निवासी भोपतपुरा ने अपने बयान में लिखाया कि वादग्रस्त जमीन ग्राम खेराड़िया में हैं। जमीन 6 बीघा 12 बिस्वां हैं। इस जमीन में से 2/3 हिस्सा श्यामकंवर मंजूकंवर मेरी पत्नि राधा बाई साबू बाई ने खरीद ली। खेराड़िया में 9 बिस्वां भूमि श्यामकंवर, मंजूकंवर, राधाकंवर, गिरिजा कंवर से मेरी पत्नि राधा व मेरी माता साबूबाई ने खरीद की हैं। मौके पर खरीदी गई भूमि पर मेरा व मेरे परिवार का कब्जा हैं। विवादित जमीन पर धनकंवर कल्याणकंवर का कब्जा काश्त नही हैं।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 07 पर

वकील वादी श्री सारस्वत :– जिरह में लिखाया कि विवादित जमीन पूर्व में किनके नाम पर थी के जानकारी में नही हैं। मैं श्यामकंवर के पति कालूसिंह एंव मंजूकंवर के पति एवं राधाबाई एवं धनकंवर के पिता को मेंने नही देखा। हमने रेकॉर्ड देखकर जमीन खरीदी। मुझे जानकारी नही हैं कि विवादित जमीन हरिसिह की हैं। और उनके तीन लड़के नारायणसिंह कालूसिंह शैतानसिंह और 2 लड़कीया धनकंवर कल्याणकंवर हो। यह भी मेरी जानकारी में नही हैं कि विवादित जमीन पर धनकंवर कल्याणकंवर का नाम जुडवाने से रह गया हों। हमने जमाबन्दी देखकर जमीन खरीदी। यह गलत हैं कि श्यामकंवर, मंजूकंवर, राधाकंवर, गिरिजा कंवर ने धनकंवर व कल्याणकंवर का हिस्सा हमे बेच दिया हो पर यह कहना गलत है कि विवादित जमीन के 2/5 हिस्से पर धनकंवर कल्याणकंवर का कब्जा हों।

DW-2 राधा पत्नि रायासंह बंजारा निवासी भोपतपुरा ने अपने बयान में रायसिंह पिता गोरू बंजारा निवासी भोपतपुरा के कथनों को ही दोहराया हैं।

DW-3 ऊंकार पिता गोरू बंजारा निवासी भोपतपुरा ने अपने बयान में लिखाया कि विवादित जमीन ग्राम खेराड़िया में स्थित हैं। उक्त भूमि को साबूदेवी राधा देवी ने 4–00 बीघा जमीन राजपूतो की औरतो से खरीद की थी। साबूदेवी राधा देवी का कब्जा चला आ रहा हैं।

जिरह में लिखाया कि विवादित भूमि 6–02 बीघा भूमि में 2/3 हिस्सा को साबूदेवी व राधादेवी ने क्रय की हैं। इसकी आराजी नम्बर याद नही हैं।

DW-4 शैतानसिंह पिता नारायणसिंह बंजारा निवासी भोपतपुरा ने अपने बयान में रायसिंह पिता गोरू बंजारा निवासी भोपतपुरा के कथनों को ही दोहराया हैं।

जिरह में लिखाया कि विवादित भूमि 6–02 बीघा भूमि में 2/3 हिस्सा को साबूदेवी व राधादेवी ने क्रय की हैं। इसकी आराजी नम्बर याद नही हैं।

प्रकरण में अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में आदेश पारित किए जाते हैं कि:–

–::: आदेश :::–

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सम्पूर्ण दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया गया । न्यायालय समस्त दस्तावेजों एवं बहस के उपरान्त गुणावगुण व मेरिट के आधार पर पत्रावली को खारिज करना उचित समक्षता है। पत्रावली वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज/अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 8/9/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। डिकी मुर्तिब हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास :– अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्याः– (112/2005) 133/2010

दायर तारीख (23.06.2005) 29.04.2010

अनवान

01. धनकंवर पुत्री हरिसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. कल्याण कंवर पुत्री हरिसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

..... डिक्रीदार

बनाम

1. दलपतसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
2. मीठू बाई पुत्री नारायणसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
3. भंवरीबाई विधवा नारायणसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
4. श्यामा कंवर विधवा कालूसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
5. मंजू कंवर विधवा शैतानसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
6. राधा बाई पुत्री शैतानसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
7. गिरजाबाई पुत्री शैतानसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
8. गोपालसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
9. शंकरसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
10. पप्पूसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
11. सरजू बाई पुत्री मदनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
12. जगदीश बाई पुत्री मदनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

लगातार पेज संख्या 02 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

13. शिवबाई पुत्री मदनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
14. गेन्दबाई पुत्री मदनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
15. मनोहरसिंह पुत्र नन्दकिशोर जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
16. बंशीलाल पुत्र नन्दकिशोर जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
17. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

18. साबू देवी पत्नी गोरूलाल जाति बंजारा उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
19. राधा देवी पत्नी रायसिंह जाति बंजारा उम्र बालिग निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

..... मदयूनान

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक 08 /09 /2025

डिक्री दिनांक 08 /09 /2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान श्री गिरधारीलाल आचार्य एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण दिनेश तम्बोली उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सम्पूर्ण दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया गया । न्यायालय समस्त दस्तावेजों एवं बहस के उपरान्त गुणावगुण व मेरिट के आधार पर पत्रावली को खारिज करना उचित समक्षता है। पत्रावली वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज/अस्वीकार की जाती है।

नीज .....Nil.....मुबलिग ..... Nil .....बाबत् ..... Nil .
.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 09 वर्ष 2025 को जारी की गयी।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर .

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी • बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा •